पाठ्यक्रम का क्षेत्र
(Scope of Curriculum)

पाठ्यक्रम के द्वारा ही शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है अत: नियोजन शिक्षा के लिये पाठ्यक्रम आवश्यक है। इसकी उपयोगिता अधोलिखित है—

1. शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति (Achievement of the Aims of Education)—शिक्षा की व्यवस्था पाठ्यक्रम पर आधारित होती है। जब तक पाठ्यक्रम का सही नियोजन नहीं किया जाता तब कि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती क्योंकि पाठ्यक्रम का स्वरूप शिक्षा के उद्देश्यों के अनुसार निर्मित होता है।

2. शिक्षा प्रक्रिया का व्यवस्थीकरण (Organisation of Educational Process)—पाठ्यक्रम एक ऐसा लेखा जोखा है जिससे यह स्पष्ट रूप से अंकित किया जाता है कि शिक्षा के किस जीवन स्तर पर विद्यालयों में कौन-सी क्रियाओं की तथा कौन से विषयों की शिक्षा दी जायेगी। इस प्रकार पाठ्यक्रम विद्यालयी कार्यक्रम की रूप-रेखा बनाता है अथवा शिक्षा की प्रक्रिया को व्यवस्थित करता है।

3. क्या और कितना ज्ञान ? (What and how much)—पाठ्यक्रम अध्यापकों के लिये अत्यन्त उपयोगी है। बिना इसके वे यह नहीं जान सकते कि उन्हें क्या और कितना ज्ञान बालकों को देना है। पाठ्यक्रम के आधार पर ही वे ठीक प्रकार से काम करते हैं और उन्हें यह मालूम रहता है कि एक निश्चित अवधि के अन्दर उन्हें अमुक कक्षा में कितना कार्य समाप्त करना है।

4. समय एवं शक्ति का प्रयोग (Proper use of Time and Energy)—पाठ्यक्रम से अध्यापकों को यह ज्ञात रहता है कि उन्हें क्या सिखाना है और कितने समय में सिखाना है। इसी प्रकार छात्रों को भी यह ज्ञान रहता है कि उन्हें क्या सीखना है और कितने समय में सीखना है। इस प्रकार शिक्षक और छात्र दोनों ही एक निश्चित समय के अन्दर कार्य पूरा करते हैं। अत: इनके द्वारा समय एवं शक्ति का सदुपयोग होता है।

5. ज्ञानोपार्जन (Acquistition of Knowledge)—ज्ञानोपार्जन कराने में पाठ्यक्रम बालकों की सहायता करता है। यह सही है कि ज्ञान एक है, परन्तु मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिये उसके कई भाग कर लिये हैं जैसे-साहित्य, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय, इत्यादि। ज्ञान के इन विभिन्न भागों के ज्ञानार्थ पाठ्यक्रम की रचना की जाती है।

6. चारित्रिक विकास (Development of Character)—चारित्रिक विकास की दृष्टि से शिक्षा इस बात पर बल देती है कि बालकों के अन्दर मानवीय गुण, जैसे-सत्य, सेवा, त्याग, परोपकार, सद्भावना इत्यादि उत्पन्न किये जायें।

यह कार्य पाठ्यक्रम के द्वारा ही पूर्ण होता है। इन गुणों को विकसित करके इन्हीं के अनुसार बालकों से आचरण करवाना पाठ्यक्रम का उद्देश्य है।

7. व्यक्तित्व का विकास (Development of Character)—बालकों के व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से भी पाठ्यक्रम एक उपयोगी वस्तु है। बालक के नैसगिक गुणों तथा शक्तियों को समुचित तथा उपयुक्त

दिशा में विकसित करना पाठ्यक्रम का ही कार्य है। बिना नैसर्गिक गुणो एवं शक्तियों के विकास के व्यक्ति का समुचित विकास सम्भव नहीं है।

8. पाठ्य पुस्तकों का निर्माण (Preparation of Books)—पाठ्यक्रम के आधार पर ही पाठ्य-पुस्तकों की रचना की जाती है। पाठ्य पुस्तकों में वही सामग्री रखी जाती है जो किसी स्तर के पाठ्यक्रम के अनुकूल हो। पाठ्यक्रम न होने पर पुस्तकों में अनरगल बातें भी सम्मिलित हो सकती है। पाठ्यक्रम इस स्थिति से हमारी रक्षा करता है।

9. मूल्यांकन में सरलता (Easy Evaluation)—किसी कक्षा स्तर के पाठ्यक्रम के आधार पर ही उस कक्षा के छात्रों की योग्यता का मूल्यांकन सम्भव होता है। पाठ्यक्रम के अभाव में मूल्यांकन कठिन होगा।

10. नागरिकों का निर्माण (Preparation of Citizens)—शिक्षा का उद्देश्य उपायोगी एवं आदर्श नागरिकों का निर्माण करना हैं। आदर्श एवं उपयोगी नागरिक वही है जिसकी शक्तियाँ पूर्णरूप से विकसित हों, जो कानून का पालन करे, न्यायानुकूल आचरण करे और जिसमें स्वतन्त्र चिन्तन और निर्माण की शक्तियाँ शामिल हो, इन बातों की क्षमता एसवं योग्यता उत्पन्न करने के लिये ही पाठ्यक्रम का निर्माण होता है।

11. अन्वेषकों की उत्पत्ति (Birth of discoverer)—पाठ्यक्रम ऐसे ज्ञान पिपासुओ तथा विद्वानों को जन्म देता हैं जो अपने अध्ययन, उद्योग एवं शोधकार्य, ज्ञान में वृद्धि करते हैं।

पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धान्त
(Principles of Curriculum Construction)

पाठ्यक्रम सम्बन्धी विविध आधारों का पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धान्तों से घनिष्ट सम्बन्ध होता है। निम्नलिखित पंक्तियों में हम पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धान्तों की चर्चा कर रहे हैं—

1. बाल केन्द्रीतता का सिद्धान्त (Principle of Child Centredness)—इस सिद्धान्त के अनुसार पाठ्यक्रम बाल-केन्द्रित होना चाहिये। दूसरे शब्दों में, पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं, मनोवृत्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं तथा वृद्धि एवं आयु आदि का विशेष ध्यान रखना चाहिये।

2. जीवन से सम्बन्धित होने का सिद्धान्त (Principle of Relation with life)—इस सिद्धान्त के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय उन्हीं विषयों को स्थान देना चाहिये जिनका बालक के जीवन से सीधा सम्बन्ध हो। परम्परागत पाठ्यक्रम की आलोचना आज इसीलिये हो रही है क्योंकि इसका बालकों के जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

3. रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों के उपयोग का सिद्धान्त (Principle of utilizing creative and constructive powers)—पाठ्यक्रम में उन क्रियाओं तथा विषयों को स्थान मिलना चाहिये जो बालक की रचनात्मक तथा सृजनात्मक शक्तियों का विकास कर सकें। रेमान्ट महोदय का कथन है—'जो पाठ्यक्रम वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं के लिये उपयुक्त है, उसमें निश्चित रूप से रचनात्मक विषयों के प्रति निश्चित सुझाव देना चाहियें। (In a curriculum that is suited to the needs of today and of the failure, there must be a definite bias towards definite creative subjects–Raymont)

4. खेल और कार्य की क्रियाओं में अन्तर का सिद्धान्त (Principle of Interrelation of Play and Work Activities)—पाठ्यक्रम तैयार करते समय ज्ञान प्राप्त करने की क्रियाओं को इतना रुचिकर बनाने का प्रयास करना चाहिये कि बालक ज्ञान को खेल समझकर प्रभावशाली ढंग से ग्रहण कर लें। क्रो और क्रो महोदय का कथन—'जो लोग सीखने की प्रक्रिया को निर्देशित करते है, उनका उद्देश्य यह होना चाहिये कि वे ज्ञानात्मक क्रियाओं की ऐसी योजना बनाये कि खेल के दृष्टिकोण को स्थान प्राप्त हो।'

('The aim of those who guide the learning process should be so to plan learning activities that the play attitude is introduced.'

–Prof. Crow and Crow)

5. संस्कृति तथा सभ्यता के ज्ञान का सिद्धान्त (Principle of the Knowledge of Culture and Civilization)—पाठ्यक्रम के अन्तर्गत उन क्रियाओं, वस्तुओं तथा विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिये जिनके द्वारा बालकों को अपनी संस्कृति तथा सभ्यता का ज्ञान हो जाय। दूसरे शब्दों में, पाठ्यक्रम संस्कृति तथा सभ्यता की रक्षा तथा विकास करें।

6. अनुभवों की पूर्णता का सिद्धान्त (Principle of the totality of Experiences)—पाठ्यक्रम के अन्तर्गत मानव जाति के अनुभवों की सम्पूर्णता निहित होनी चाहिये। दूसरे शब्दों में, पाठ्यक्रम के अन्तर्गत सैद्धान्तिक विषयों के साथ-साथ मानव जाति के उन सभी अनुभवों को उचित स्थान मिलना चाहिये जिन्हें बालक स्कूल में, खेल के मैदानों में कक्षागृह में, पुस्तकालय में, प्रयोगशाला में तथा शिक्षकों के अनौपचारिक सम्पर्कों द्वारा सीखता रहता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग का भी यही विचार है—'पाठ्यक्रम' का अर्थ केवल सैद्धान्तिक विषयों से ही नहीं लिया जाता, वरन् उसमें अनुभवों की सम्पूर्णता निहित होती है। ('Curriculum does not mean only the academic subjects, but it includes the totaliyt of experiences' –Secondary Education Commission Report.)

7. स्वस्थ आचरण के आदर्शों का सिद्धान्त (Principles of Achievement of Wholesome Behaviour Patterns)—पाठ्यक्रम में उन क्रियाओं, वस्तुओं तथा विषयों को स्थान मिलना चाहिये जिनके द्वारा बालक दूसरों के साथ प्रशंसनीय व्यवहार करना सीख जायें। क्रो और क्रो महोदय का कथन है—'पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार से किया जाना चाहिये, जिसे वह बालकों को उत्तम आचरण के आदर्शों की प्राप्ति में सहायता दे सके।

8. उपयोगिता का सिद्धान्त (Principle of Utility)—पाठ्यक्रम में उन क्रियाओं तथा विषयों को स्थान मिलना चाहिये जो बालक के वर्तमान तथा भावी जीवन के लिये उपयोगी हों। दूसरे शब्दों में जो क्रियायें तथा विषय बालक के वर्तमान तथा भावी जीवन के लिये उपयोगी नहीं है, उन्हें पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं करना चाहिए।

9. अग्रदर्शिता का सिद्धान्त (Principle of Forward Look)—पाठ्य के अन्तर्गत उन क्रियाओं तथा विषयों को स्थान मिलना चाहिये जिनके द्वारा बालक को उसके भावी जीवन में आने वाली परिस्थितियों का ज्ञान हो जाय तथा वह उनके साथ अनुकूलन भी कर ले । दूसरे शब्दों में, सीखा हुआ ज्ञान ऐसा होना चाहिये जो बालक को अनुकूलन तथा आवश्यकता पड़ने पर परिस्थितियों में परिवर्तन करने के योग्य भी बना दे।

10. विविधता तथा लचीलेपन का सिद्धान्त (Principle of Variety and Elasticity)—प्रत्येक बालक की रुचियाँ, आवश्यकतायें योग्यतायें तथा मनोवृत्तियाँ एक दूसरे से भिन्न होती है। इस विभिन्नता को दृष्टि में रखते हुए पाठ्यक्रम में विविधता तथा लचीलापन होना चाहिये। **माध्यमिक शिक्षा आयोग** का भी यही विचार है—"पाठ्यक्रम में काफी विविधता तथा लचीलापन होना चाहिये, जिससे कि वैयक्ति विभिन्नताओं तथा वैयक्तिक आवश्यकताओं एवं रुचियों का अनुकूलन किया जा सके।' (There should be enought of variety and esasticity in the curriculum to all and for individual differences and adaptation to individual needs and transform interests.–Secondary Education Commission Report)

11. अवकाश के लिये प्रशिक्षण का सिद्धान्त (Principle of Training for Leisrue)—वर्तमान युग में अवकाश काल का सदुपयोग करना एक महान समस्या है। इस दृष्टि से पाठ्यक्रम इतना व्यापक होना चाहिये कि जहां एक ओर वह बालकों को कार्य करने की प्रेरणा दे वहां दूसरी ओर वह उनमें ऐसी क्षमतायें भी उत्पन्न करे कि वे अपने अवकाश काल का सदुपयोग करना सीख जायें।

12. जीवन सम्बन्धी समस्त क्रियाओं के समावेश का सिद्धान्त (Principle of Inclusion of all Life Activities)—स्पेन्सरव के अनुसार शिखा का उद्देश्य जीवन को पूर्णता प्रदान करना है। अतः पाठ्यक्रम में जीवन से सम्बन्धित उन सभी क्रियाओं को स्थान मिलना चाहिये जिनसे बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा नैतिक सभी प्रकार का समुचित विकास हो जायें।

13. सामुदायिक जीवन से सम्बन्ध का सिद्धान्त (Principle fo Relationship wih Community Life)—पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय स्थानीय आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये उन सभी सामाजिक प्रथाओं, मान्यताओं तथा समस्याओं को स्थान मिलना चाहिये जिनसे बालक सामुदायिक जीवन की मुख्य-मुख्य बातों से परिचित हो जायें। कहने का तात्पर्य यह है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार–'पाठ्यक्रम सामुदायिक जीवन से सजीव तथा आंगिक रूप सै सम्बन्धित होना चाहिए।'

(The Curriculum must be vitally and organically related to community life.?)

–Secondary Education Commission Report

14. जनतन्त्रीय भावना के विकास का सिद्धान्त (Principle of Developing Democratic Spirit)—भारत ने जनतन्त्र के सिद्धान्त को स्वीकार किया है इस दृष्टि से पाठ्यक्रम में ऐसी क्रियाओं को स्थान मिलना चाहिये जिनके द्वारा बालकों में जनतन्त्रीय भावनाओं एवं दृष्टिकोणों का विकास हो जाय।

15. सह-सम्बन्ध का सिद्धान्त (Principle of Correlation)—पाठ्यक्रम को अलग-अलग सम्बन्धहीन टुकड़ों में विभाजित करने से उसका महत्त्व एवं प्रभाव कम हो जाता है। इसके विपरीत पाठ्यक्रम के विषयों में सह-सम्बन्ध स्थापित करने से बालक ज्ञान के समग्र रूप से परिचित हो जाता है। अत: इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि पाठ्यक्रम में सम्मिलित किये हुये विषरय पृथक्-पृथक् ही न हों, अपितु उनका एक दूसरे से सह-सम्बन्ध अवश्य हो।

प्रश्नावली

1. पाठ्यक्रम का अर्थ एवं परिभाषा दीजिये। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यवस्तु में अन्तर बताइये तथा 'पाठ्यक्रम-विकास' (Curriculum development) को स्पष्ट कीजिये।
2. ''पाठ्यक्रम-विकास एक चक्रीय प्रक्रिया है।'' इस कथन की पुष्टि कीजिये तथा चार प्रमुख तत्वों में सम्बन्ध को समझाइये।
3. पाठ्यक्रम के उद्देश्य बताइयें तथा पाठ्यक्रम के मूल तत्त्वों की भूमिका काविवेचन कीजिए।
4. पाठ्यक्रम का शिक्षा के तत्त्वों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है।'' इस कथन को उदाहरणों से स्पष्ट कीजिये।
5. पाठ्यक्रम की आवश्यकता तथा महत्त्व का विवेचन कीजिये तथा पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले घटकों को भी उल्लेख कीजिये।
6. पाठ्यक्रम के प्रकार बताइये तथा उनके दोषों को भी बताइये। पाठ्यक्रम में सुधार के लिये सुझाव दीजिये।
7. पाठ्यक्रम के क्षेत्र का वर्णन कीजिये।
8. पाठ्यक्रम का अर्थ एवं परिभाषा दीजिये। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यवस्तु में अन्तर बताइये तथा 'पाठ्यक्रम-विकास' (Curriculum development) को स्पष्ट कीजिये।
9. ''पाठ्यक्रम-विकास एक चक्रीय प्रक्रिया है।'' इस कथन की पुष्टि कीजिये तथा चार प्रमुख तत्त्वों में सम्बन्ध को समझाइये।
10. पाठ्यक्रम के उद्देश्य बताइये तथा पाठ्यक्रम के मूल तत्त्वों की भूमिका का विवेचन कीजिये।
11. अधोलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये-

    (अ) पाठ्यवस्तु तथा पाठ्यक्रम
    (ब) पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक अनुभव
    (स) शिक्षा के उद्देश्य तथा पाठ्यक्रम
    (द) शिक्षा विधि तथा पाठ्यक्रम
    [illegible] तथा मूल्यांकन